प्रेस नोट दि0-16.06.2025 जनपद प्रतापगढ

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कन्धई पुलिस द्वारा अपहरण, धमकी व उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन अधिनियम के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा पीड़िता को बरामद किया गया

थाना कन्धई पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के परसण्डा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 04.06.2025 को वादी की पुत्री को आरोपीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना कन्धई में अन्तर्गत धारा 87, 351(2), 351(3) बीएनएस बनाम 03 नामजद का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के पर्यवेक्षण व थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब चन्द्र सोनकर के नेतृत्व में उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह का0 बृजेश यादव, का0 बृजभान चौहान, कां0 पिन्टू चौहान द्वारा दिनांक 16.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87, 351(2), 351(3) बी0एन0एस0 व धारा 3 व 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन अधिनियम से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, साहिल पुत्र हालिम उर्फ हल्लू निवासी ग्राम किशुनपुर शेखपुर आधारगंज थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र कन्धई के परसण्डा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 3 व 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन अधिनियम की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.साहिल पुत्र हालिम उर्फ हल्लू निवासी ग्राम किशुनपुर शेखपुर आधारगंज थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह का0 बृजेश यादव, का0 बृजभान चौहान, कां0 पिन्टू चौहान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता – मध्यप्रदेश से चोरी की गई बाइक व 08 देशी बम के साथ 02 अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पट्टी पुलिस द्वारा दो अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल(फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र) व 08 देशी बम सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार 02 अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल को उन्होंने भोपाल (म.प्र.) से दिसंबर 2024 में चोरी किया था।
अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पट्टी पर धारा 303(2)/317(2)/318(4)/338/336(3)/340 (2) / 339 बीएनएस व धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री बैकुण्ठनाथ पाण्डेय, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 अभिनव नारायण सिंह, का0 जितेन्द्र चौहान,का0 विश्वेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों, 1. जाहिर अब्बास पुत्र सलीम निवासी ग्राम टिकुरी टोला रेलवे स्टेशन के पास बुरहर बेल्बहरा शहडोल मध्य प्रदेश उम्र करीब 45 वर्ष, 2. हासिम अली पुत्र सैय्यद लाला अली निवासी ग्राम अमन कालोनी शिया मस्जिद करौंध तहसील निसार पुरा भोपाल मध्य प्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष को 01 अदद मोटरसाइकिल TVS अपाचे((फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र) व 08 अदद देशी बम के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 178/25 धारा 303 (2)/317(2)/318(4)/338/336(3) / 340 (2) / 339 बीएनएस व 4/5 विस्फोटक अधिनियम पदार्थ अधिनयम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि जो मोटरसाइकिल पकड़ी गई यह हमारे रिश्तेदार की है। संदेह होने पर चेचिस नं0, इंजन, मालिक का नाम पता भिन्न पाये जाने पर कडाई से पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तों ने एक स्वर मे बताया कि ये गाडी हम दोनो ने मिलकर दिसम्बर 2024 मे भोपाल म0प्र0 से चोरी किया था।

स्थानीय पुलिस द्वारा अपाचे मोटर साइकिल मालिक से दूरभाष के माध्यम से वार्ता करने पर अपना नाम अमित कुमार बुनकर बताया। गाडी के सम्बन्ध बताने पर बताया कि ये मेरी गाडी है जो दिनांक-

10/12/2024 को बाग से वनिया भोपाल से चोरी हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे अमित कुमार द्वारा मु0अ0सं0 670/2024 धारा 303 (2) बीएनएस का अभियोग थाना बाग से विनिया जिला भोपाल शहरी म0प्र0 मे पंजीकृत कराया गया था

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. जाहिर अब्बास पुत्र सलीम निवासी ग्राम टिकुरी टोला रेलवे स्टेशन के पास बुरहर बेल्बहरा शहडोल मध्य प्रदेश उम्र करीब 45 वर्ष।
2. हासिम अली पुत्र सैय्यद लाला अली निवासी ग्राम अमन कालोनी शिया मस्जिद करौंध तहसील निसार पुरा भोपाल मध्य प्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-
चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल TVS अपाचे(फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र) बरामद।
08 अदद देशी बम बरामद

पुलिस टीम-
उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री बैकुण्ठनाथ पाण्डेय, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 अभिनव नारायण सिंह, का0 जितेन्द्र चौहान,का0 विश्वेन्द्र प्रताप सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सतत अभियान चलाकर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि कानून से बच पाना संभव नहीं है।

साथ ही, मैं जनपदवासियों से अपील करता हूँ कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति नजर आए तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आपकी सतर्कता व सहयोग से ही समाज में शांति, सुरक्षा व कानून-व्यवस्था बनाए रखना संभव है। पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

<u>थाना रानीगंज प्रतापगढ़।</u>

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अवैध अफीम खेती प्रकरण में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्त नईममुद्दीन उपरोक्त को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.02.2025 को थाना रानीगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दांदूपुर व ग्राम चकसारा में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अपने घरों के सामने स्थित खेतों में अफीम की खेती की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी रानीगंज मय पुलिस बल मौके

पर पहुंचे। ग्राम दांदूपुर में अभियुक्तों द्वारा हाल ही में जुताई कर अफीम की फसल नष्ट की गई पाई गई, जिससे अवैध खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहीं ग्राम चकसारा में अभियुक्तों के घरों के सामने स्थित खेतों में चार टुकड़ों में अफीम के पौधे लगे पाए गए। उक्त प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 52/2023, धारा 8(बी)/13(सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 13 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 विकाश बाबू, का0 दिलीप कुमार, का0 सलोने द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व विवेचना के दौरान, मु0अ0सं0 52/2023, धारा 8(बी)/13(सी) एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त नईममुद्दीन पुत्र सईद निवासी दांदूपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दांदूपुर पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. नईममुद्दीन पुत्र सईद निवासी दांदूपुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह का0 विकाश बाबू, का0 दिलीप कुमार, का0 सलोने थाना रानीगंज प्रतापगढ़।